

Order sheet [Contd]

case No: ba-163/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>04/05/17</p> <p>02:30 pm</p> <p>To</p> <p>02:40pm</p>	<p>आवेदक गोविंदसिंह राणा द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>थाना मौ के अपराध क्रमांक 102/17 अंतर्गत धारा-25 एवं 27 आयुध अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ में आवेदक के जीजा जीतेन्द्र सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।</p> <p>जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। उसने जसवंत की पुत्री सीमा के साथ प्रेम विवाह किया था। जिससे जसवंत आवेदक से रंजिश मान गया है और आवेदक के विरुद्ध झूठे अपराध पंजीबद्ध करता रहता है। यह अपराध भी षणयंत्र कर पंजीबद्ध कराया है। न्यायिक निरोध में रहने से आवेदक कृषि कार्य से वंचित रहा जाएगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 22.04.17 को पुलिस थाना मौ को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर बंध वाले मंदिर के पास ग्राम उझावल में आवेदक गोविंद राणा को 315 बोर के कट्टे व राउण्ड के साथ पकड़ा गया। उसे मौके पर गिरफ्तार किया गया। उसके आधिपत्य से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस जप्त किया गया। थाना वापसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई।</p> <p>केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि पुलिस आवेदक के विरुद्ध अन्य कोई अपराध दर्ज होने की कोई लिस्ट पुलिस के द्वारा नहीं लगाई गई है। यद्यपि संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी गई कैफियत में अन्य अपराध होने का उल्लेख किया है। परंतु पुलिस ने लिस्ट संलग्न नहीं की है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के जमानत आवेदन निरस्ती आदेश दिनांक 25.04.17 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें अन्य तीन अपराध पंजीबद्ध होना बताया गया है। परंतु आवेदक दिनांक 22.04.17 से अर्थात् लगभग 14 दिवस से निरोध में है उसे और लंबी</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अवधि के लिए दण्ड स्वरूप निरोध में नहीं रखा जा सकता है।</p> <p>मामले की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक का जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।</p> <p>अतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त गोविंद सिंह राणा की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की संतुष्टि योग्य 20,000/-रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा। 2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा। 3. फरार नहीं होगा। 4. विचारण में सहयोग करेगा। 5. विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा। <p>यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।</p> <p>आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे।</p> <p>केसडायरी वापस हो।</p> <p>प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड</p>	